

कार्यालय मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ०प्र०, लखनऊ।

पत्रांक:- 1739 / 11-सी-FP/UP/Trans/18048/2016, लखनऊ: दिनांक: फरवरी 27, 2020

सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक,
मिर्जापुर क्षेत्र,
मिर्जापुर।

विषय:- जनपद-सोनभद्र में हिण्डालको इण्डस्ट्रीज लिमिटेड (रेणुसागर पावर डिवीजन), रेणुसागर को 132 के०वी० विद्युत पारेषण लाइन हेतु हस्तांतरित 38.2591 हे० आरक्षित वनभूमि को 25 वर्षों (दिनांक 09.02.2016 से दिनांक 08.02.2041 तक) के लिए लीज नवीनीकरण के संबंध में।

सन्दर्भ:- भारत सरकार का पत्रांक-8बी/यू०पी०/०४/६८/२०१९/एफ०सी०/२४४, दिनांक 14.08.2019, उ०प्र० शासन का पत्रांक-131/81-2-2019-145(233)/64, दिनांक 27.09.2019 एवं इस कार्यालय का पत्रांक-1136/11-सी-FP/UP/Trans/18048/2016, दिनांक 06.12.2019 तथा पत्रांक-1560/11-सी-FP/UP/Trans/18048/2016, दिनांक 04.02.2020

महोदय,

उपरोक्त संदर्भित पत्रों का अवलोकन करने का कष्ट करें। भारत सरकार के उपरोक्त सन्दर्भित पत्र के द्वारा विषयोंकित प्रकरण में की गयी आपत्तियों का पूर्ण बिन्दुवार निराकरण करने हेतु इस कार्यालय के उपरोक्त संदर्भित पत्रों के द्वारा आपको लिखा गया था। भारत सरकार की आपत्ति सं०-5 के निराकरण के क्रम में भारत सरकार की गाइडलाइन दिनांक 29.10.2018 के अनुसार उल्लंघन के फलस्वरूप प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा जमा करायी जाने वाली दण्डात्मक एन०पी०वी० की गणना आपने अपने पत्रांक-3957/मी०क्ष०/33, दिनांक 20.02.2019 के द्वारा बिना संस्तुति के ही इस कार्यालय को प्रेषित किया गया है। इसके अतिरिक्त प्रकरण में लीज समाप्ति की अवधि 04 वर्ष से अधिक हो गयी है किन्तु प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा दण्डात्मक एन०पी०वी० की गणना में ब्याज केवल चार वर्षों तक का ही लिया गया है, जोकि भारत सरकार की गाइडलाइन के अनुरूप नहीं है।

अतः विषयगत प्रकरण में भारत सरकार की आपत्तियों का पूर्ण बिन्दुवार निराकरण के साथ भारत सरकार की गाइडलाइन दिनांक 29.10.2018 के अनुसार उल्लंघन के फलस्वरूप प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा जमा करायी जाने वाली दण्डात्मक एन०पी०वी० की गणना अद्यतन समयावधि तक ब्याज समाहित करते हुये संशोधित दण्डात्मक एन०पी०वी० की गणना संस्तुति सहित तीन प्रतियों में तत्काल इस कार्यालय को प्रेषित करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(पंकज मिश्र)

मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
उ०प्र०, लखनऊ।

पत्रांक:- 1739 / 11-सी-FP/UP/Trans/18048/2016, दिनांकित।

प्रतिलिपि-निम्नलिखित अधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:

1. प्रभागीय वनाधिकारी, रेनुकूट वन प्रभाग, रेनुकूट।
2. सहायक महाप्रबन्धक, मै० हिण्डालको इण्डस्ट्रीज लि०, रेनुकूट-सोनभद्र।

(पंकज मिश्र)

मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
उ०प्र०, लखनऊ।